संख्या-16 /1754 प्रो0/51-2014-14(03)/2012

प्रेषक,

इन्द्र राज सिंह,
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 29 अक्टूबर , 2014

विषय: राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-822/नाजिर-नौ-ए, दिनांक 10 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रू0-1,22,441.00(रूपये एक लाख बाइस हजार चार सौ इकतालीस मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र.सं	राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि/वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक	धनराशि
1	श्री यू0के0 उनियाल, मा0 महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड। दिनांक 09-04-2014 से 10-04-2014, वाहन संख्या-यू0पी0-32 बी0एन0-6046, देयक सं0-ए.एल.डी-14, दिनांक 17-04-2014	रू0-5,929.00
2	मा0 न्यायमूर्ति श्री यतीन्द्र सिंह, मुख्य न्यायधीश, मा0 उच्च न्यायालय, विलासपुर दिनांक 05-04-2014 से 06-04-2014 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी0एन0-0943, देयक सं0-ए.एल.डी-15, दिनांक 17-04-2014	रू0-10,494.00
3	मा0 न्यायमूर्ति श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह, जज, मा0 उच्च न्यायालय, पटना, दिनांक 21-04-2014 से 22-04-2014 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी0एन0-3328, देयक सं0-ए0एल0डी0-16, दिनांक 20-04-2014	रू0-5,247.00
4	श्री यू0के0 उनियाल, मा0 महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड। दिनांक-22-04-2014 से 24-04-2014, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी.एन.-3328, देयक सं0-ए.एल.डी-48, दिनांक 30-04-2014	रू0-10,494.00
5	मा0 न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, जज, मा0 उच्च न्यायालय, पटना, दिनांक-10-05-2014 से 12-05-2014, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी0एन0-5993, देयक सं0-ए0एल0डी-65, दिनांक 20-05-2014	रू0-10,494.00
6	मा0 न्यायमूर्ति श्री सैइयद रफत आलम, चेयरमैन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली। दिनांक 01-05-2014 से 04-05-2014 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, इ0एन0-0943, देयक सं0-ए0एल0डी-66, दिनांक 20-05-2014	रू0-5,247.00
7	मा0 न्यायमूर्ति श्री शम्भू नाथ श्रीवास्तव, जज, प्रमुख लोक आयुक्त, छत्तीगढ लोक आयोग, रायपुर, दिनांक-01-05-2014 से 02-05-2014 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी0एन0-3459, देयक सं0-ए0एल0डी0-67, दिनांक 20-05-2014	रू0-10,494.00
8	-तदैव-	रू0-13,118.00

http://shasanadesh.up.nic.in

	दिनांक-01-05-2014 से 07-05-2014 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी0एन0-5993 देयक सं0-ए0एल0डी0-68, दिनांक 20-05-2014	
9	मा0 न्यायमूर्ति, डा0 बी0एस0 चौहान, जज, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, भारत, दिनांक 03-05-2014, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी0एन0-0943, देयक सं0-ए0एल0डी0-69, दि0-20-05-2014	रू0-5,247.00
10	मा0 न्यायमूर्ति, श्री सतीश के0 अग्निहोत्री, दिनांक 08-05-2014, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी.एन.-5993, देयक सं0-ए.एल.डी.-70, दिनांक 20-05-2014	रू0-2,624.00
11	मा0 न्यायमूर्ति श्री बी0के0 पटेल, जज, मा0 उच्च न्यायालय, उडीसा, दिनांक 24-05-2014 वाहन सं0-यू0पी0-32, बी.एन.-5993, देयक सं0-ए.एल.डी.-71, दिनांक-31-05-2014	रू0-5,247.00
12	मा0 न्यायमूर्ति, श्री नूटी राम मोहन राव, जज, मा0 उच्च न्यायालय, आन्ध्रप्रदेश, दिनांक-23-05-2014 से 24-05-2014 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी0एन0-0943, देयक सं0-ए0एल0डी0-72, दिनांक-31-05-2014	रू0-5,247.00
13	मा0 न्यायमूर्ति श्री महावीर एस0 चौहान, जज, मा0 उच्च न्यायालय, पंजाब एण्ड हरियाणा, दिनांक 25-05-2014 से 26-05-2014 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी0एन0-0943, देयक सं0-ए0एल0डी0-73, दिनांक 31-05-2014	रू0-5,247.00
14	श्री अक्षय राउत, महानिदेशक, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली, दिनांक-28-05-2014 से 29-05-2014 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी0एन0-3328, देयक सं0-ए0जेड0एम0-74, दिनांक 31-05-2014	रू0-5,247.00
15	मा0 न्यायमूर्ति, श्री आर0के0 अग्रवाल, जज, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, भारत, दि0-13-05-2014 से 14-05-2014 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, इ0एन0-3459, देयक सं0-ए.एल.डी.-75, दिनांक 31-05-2014	रू0-10;494.00
16	श्री यू0के0 उनियाल, मा0 महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, दिनांक 13-05-2014, वाहन सं0-यू0पी0-32, बी.एन.-6046, देयक सं0-ए.एल.डी.-76, दि0-31-05-2014	रू0-2,624.00
17	मा0 न्यायमूर्ति, श्री शम्भूनाथ श्रीवास्तव, प्रमुख लोक आयुक्त, छत्तीसगढ, दि0-06-04-2014 से 07-04-2014 तक, वाहन सं0-यू0पी0-32, इ0एन0-3458, देयक सं0-वी0एन0एस0-15, दिनांक-11-04-2014	रू0-11,570.00
	(रूपये एक लाखबाइस हजार चार सौ इकतालीस मात्र) कुल योग	**रू0-1,22,441.00**

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से संबंधित देयक मूलरूप में वापस किया जा रहा है।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-''2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093- जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्री स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः मूलदेयक।

भवदीय,

इन्द्र राज सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 1754 (1) प्रो0/51-2014-14(03)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
3- कोषाधिकारी, मथुरा।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम, आगरा/मथुरा।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
इन्द्र राज सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in